क्रमांक/अपील 143/बो.प्र./नि.स./2019/
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक /02/2019

अपीलार्थी		प्रतिअपीलार्थी
श्री राजकुमार मिश्रा हल्दीबाड़ी चिरमिरी जिला–कोरिया मो. नं. 7999393315	–विरूद्ध–	श्री एस.के. विश्वकर्मा जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर

1. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री राजकुमार मिश्रा, हल्दीबाड़ी चिरमिरी, जिला–कोरिया द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2019 को पांच बिन्दुओं पर जानकारी प्रदाय करने हेतु जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग को आवेदन पत्र दिये थे। जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1662 रायपुर, दिनांक 2012.2018 द्वारा अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी विधि प्रकोष्ठ से प्राप्त टीप के अनुसार वांछित जानकारी इस कार्यालय में धारित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.12.2018 को 1 पेज का पत्र देकर बताया कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में धारित नहीं है । ऐसा नहीं हो सकता कि वांछित जानकारी अनावेदक के कार्यालय में न हो तथा जो जानकारी मांगा गया था वह जानकारी प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार उत्तरवादी तय सीमा के भीतर वांछित जानकारी प्रदान करने में विफल रहे। सम्पूर्ण जानकारी सत्यापित कर निर्देश दिया जाए इस जानकारी का वेब साइट पता बताया जाए व प्रस्तुत अपील का निराकरण मेरे मोबाईल पर- आडियो/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से किया जाए। अपीलार्थी इस कार्यालय से उक्त जानकारी प्राप्त न होने के कारण व्यथित होकर प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किये है।
2. प्रकरण के अवलोकन एवं अध्ययन पश्चात् उभय पक्षों को सुनवाई हेतु आदेश क्रमांक 1907 दिनांक 14.02.2019 द्वारा दिनांक 27.02.2019 को दोपहर 12:30 बजे निर्धारित कर उभय पक्षों को पत्र मूल अभिलेखों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में जनसूचना अधिकारी सुनवाई हेतु दिनांक 27.02.2019 को उपस्थित हुए एवं आवेदक अनुपस्थित रहे एवं दूरभाष पर चर्चा की गई जिस पर आवेदक द्वारा गुणदोष के आधार पर निराकरण करने का अनुरोध किया गया। प्रकरण पर जनसूचना अधिकारी को सुना गया।

3. जनसूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी आवेदक को विधि प्रकोष्ठ से प्राप्त टीप के अनुसार वांछित जानकारी इस कार्यालय में धारित नहीं है लेख किया गया है। प्रकरण नस्ती बद्ध किया जाना उचित होगा।

अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि प्रकरण पैरा (3) के अनुसार प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे तथा संबंधित को तदानुसार सूचना के अधिकार का बेवसाइट का पता बताकर सूचित किया जावे तथा की गई कार्यवाही से इस कक्ष को अवगत करावें।

हस्ता/-
(बी.आर. लाड़िया)
अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्रमांक अपील/143/बो.प्र./नि.स./2019/220 — रायपुर, दिनांक 28/02/2019

प्रतिलिपि :–

1. श्री एस.के विश्वकर्मा, जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अगेषित।
2. श्री राजकुमार मिश्रा, हल्दीबाड़ी चिरमिरी जिला–कोरिया मो. नं. 7999393315 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. कार्यपालन अभियंता, MIS Cell, डाटा सेंटर, रायपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया जानकारी सूचना के अधिकार के वेबसाइड में अपलोड कर अवगत करावें।

(बी.आर. लाड़िया)
अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर